संख्या 924/।।।(1)/11–70(अधि0)/05

प्रे ाक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड ाासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 24 अगस्त 2012

वि ाय:– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं ए0डी0बी0 के कार्यों के सम्पादन हेतु सृजित अधीक्षण अभियन्ता के अस्थाई निःसंवर्गीय पदों की निरन्तरता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त वि ायक ाासनादेश संख्या 228/।।।(1)/10–70(अधि0)/05 दिनांक 31.05.10 एवं ाासनादेश संख्या 1128/।।।(1)/10–70(अधि0)/05 दिनांक 30.07.10 का सन्दर्भ ग्रहण करने का क ट करें, जिसके द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं ए0डी0बी0 के कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु 04 वृत्तीय कार्यालय एवं अधीक्षण अभियन्ता के 04 अस्थाई निःसंवर्गीय पद वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 7600 में परियोजना अवधि तक के लिए अथवा दिनांक 28.02.11 तक के लिए सृजित किये गये हैं, जिसकी निरन्तरता ाासनादेश संख्या 239/।।।(1)/10–70(अधि0)/05 दिनांक 07.03.11 के द्वारा दिनांक 28.02.12 तक बढ़ायी गयी है।

2. लोक निर्माण विभाग के व ा 2011 में तकनीकी पदों में पुनर्गठन होने के फलस्वरूप ाासनादेश संख्या 1768/।।।(1)/11–190(पी0डब्ल्यू0डी0)/01 दिनांक 12.12.11 के द्वारा उपरोक्त सृजित 04 अधीक्षण अभियन्ता के निःसंवर्गीय पदों में से 02 पदों को संवर्गीय ढ़ांचे में सम्मिलित किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त ाासनादेश दिनांक 31.05.10 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता के 04 निःसंवर्गीय पदों के सापेक्ष 02 पद निःसंवर्गीय रह गये हैं।

3. अतः उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के ाासनादेश संख्या 228/।।।(1)/10–70(अधि0)/05 दिनांक 31.05.10 के द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं ए0डी0बी0 के कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु अधीक्षण अभियन्ता के अवशे ा 02 अस्थाई निः संवर्गीय पद वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100, ग्रेड पे रू0 7600 में सृजित पदों की निरन्तरता दिनांक 28.02.13 तक कार्यहित में बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सह ा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या 551/XXVII/12(2) दिनांक 21 अगस्त 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव

संख्या 924/III(1)/11–70(अधि0)/05 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे ित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड ासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
4. निदेशक को ागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमाऊं।
8. समस्त वरि ठ को ाधिकारी/को ाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड ासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग–2/3, उत्तराखण्ड ासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव